न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

[illegible] 108/2021 तारीख रजू:– 15.09.2021

पीठासीन अधिकारी:– पूजा मीना आर.ए.एस.

उनवान

शिवलाल पुत्र भज्जा मीना निवासी खिरखिडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादी

बनाम

1. जितेन्द्र पुत्र कल्याण
2. अजय पुत्र कल्याण
3. हरिमोहन पुत्र कल्याण
4. सुरेश पुत्र कल्याण
5. अक्षय पुत्र कल्याण

   जातियान मीना निवासी खिरखिडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।
6. मंजू पुत्री कल्याण पत्नि कालीचरण मीना निवासी खिरखिडी हालवासी किरवाडा तहसील टोडाभीम
7. गोरधन पुत्र बाल्या
8. प्रहलाद पुत्र भज्जा
9. पवन कुमार पुत्र भज्जा
10. बदरी पुत्र भज्जा
11. राजेन्द्र पुत्र हरबल
12. अनीता पुत्री हरबल
13. नारानी पुत्री हरबल
14. मीरा पुत्री हरबल
15. सुनीता पुत्री हरबल
16. सामंता पुत्री हरबल

    जातियान मीना निवासी खिरखिडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।
17. पंजाब नेशनल बैक शाखा टोडाभीम जिला करौली।
18. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट (वादी)

निर्णय दिनांक 04.04.2025

वादी ने जरिये अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खिरखिडी स्थित आराजीयात ख0न0 651/0.53, 760/0.05, 793/1142/0.01, 797/0.41, 798/0.38, 846/0.01, 847/0.98, 866/0.41, 867/0[illegible] 0.49, 969/0.50, 970/0.71, 971/1274/0.04, 972/1275/0.05, 973/1276/0.0[illegible] 990/0.10 कुल किता 17 कुल रकवा 5.68 है0 मे वादी बहिस्सा 1/10 [illegible] कल्याण बहिस्सा 1/10, प्रतिवादी न0 7 बहिस्सा 1/4, प्रतिवादी न0 8 बहिस्सा 1/10, प्रतिवादी न0 9 बहि[illegible]10, प्रतिवादी न0 10 बहिस्सा 1/10, प्रतिवादी न0 11 बहिस्सा 1[illegible] के खातेदार काश्तकार [illegible]कार्ड है। एवं आराजी ख0न0 797/1260/0.03 मे वादी बहिस्सा 1/15, प्रतिवादी न0 1 ता 6 के पिता कल्याण बहिस्सा 1/15, प्रतिवादी न0 7 बहिस्सा 1/3, प्रतिवादी न0 8 बहिस्सा 1/15, प्रतिवादी न0 9 बहिस्सा 1/15, प्रतिवादी न0 10 बहिस्सा 1/15, प्रतिवादी न0 11 बहिस्सा 2/21, प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:21:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

0 9 बहिस्सा 1/15, प्रतिवादी न0 10 बहिस्सा 1/15, प्रतिवादी न0 11 बहिस्सा 2/21, प्रतिवादी 12 बहिस्सा 1/21, प्रतिवादी न0 13 बहिस्सा 1/21, प्रतिवादी न0 14 बहिस्सा 1/21, प्रतिवादी 15 बहिस्सा 1/21, प्रतिवादी न0 16 बहिस्सा 1/21 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।

उक्त आराजीयात का अभी तक वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत बटवारा नही हुआ है। आराजीयात मुतनाजा के प्रत्येक इंच व भू भाग पर वादी व प्रतिवादीगण सयुक्त रूप से काबिज काश्त है। वादी एवं प्रतिवादीगण मे आये दिन मौके पर आराजी के कम ज्यादा काश्त कर लेने के कारण एवं आराजीयात की डौल मेड को लेकर आपस मे विवाद बना रहता है। एवं मौके पर अपने–अपने हिस्से की आराजीयात की नापतोल को लेकर आपस मे संतुष्ट नही है। वादी एक सीधा साधा बुजुर्ग व्यक्ति है। जो आये दिन बीमार रहता है। जबकि प्रतिवादी न0 1 ता 16 चालाक किस्म के लठैत व प्रभावशाली व्यक्ति है। जो आये दिन वादी के सीधेपन व बीमारी का फायदा उठाते है। और आये दिन वादी के सम्मिलित कब्जा काश्त मे झगडा करते है।

बॉका दिनांक 02.09.2021 के वक्त करीबन सुबह 10 बजे कहा कि वादी अपनी आराजीयात मुतजिका मे अपने हिस्स की आराजी मे खडी फसल बाजरा की देखभाल कर रहा था तो प्रतिवादी न0 1 ता 16 आये और कहा कि तूने इस आराजी मे फसल काश्त तो कर ली है लेकिन अब तेरे हिस्से की आराजी मे खडी फसल को हम जबरदस्ती लट्ठ के बल पर दरोह करेगे और आज के बाद हम ही काश्त करेगे, और बिना विधिवत बटवारा कराये ही दीगर लठैत अजनबी व्यक्ति को बेचेगे। इस प्रकार ने वादी के हिस्से से साफ इंकार कर दिया, और दीगर व्यक्तियो को हस्तान्तरित करने पर आमदा है। यदि प्रतिवादीगण इस गैरकानूनी कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तो वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति संभव नही हो सकेगी। इसलिये यह दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः विनायदावा बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण बाबत तकास्मा डिक्री किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमिश्नर नियुक्त कर ग्राम खिरखिडी स्थित आराजीयात ख0न0 651/0.53, 760/0.05, 793/1142/0.01, 797/0.41, 798/0.38, 846/0.01, 847/0.98, 866/0.41, 867/0.07, 968/0.49, 969/0.50, 970/0.71, 971/1274/0.04, 972/1275/0.05, 973/1276/0.04, 989/0.90, 990/0.10 कुल किता 17 कुल रकबा 5.68 है0 मे वादी बहिस्सा 1/10 एवं आराजी ख0न0 797/1260/0.03 मे वादी बहिस्सा 1/15 अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजी का तकास्मा किया जाकर बटवारा स्कीम तलब की जावे। एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ना तो स्वंय और नाही दीगर व्यक्तियो की मदद से वादी को बेदखल नही करे, शांतिपूर्वक काश्त करने मे बाधक नही बने।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दावा बाद बहस व सुनवाई दिनांक 01.11.2021 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। प्रतिवादीगण व उनके वकील को दिनांक 17.02.2025 को न्यायालय द्वारा बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद अनपुस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वादी वकील ने अवलोकन कर अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा मुताबिक रिकार्ड व कब्जेकाश्त अनुसार बटवारा स्कीम पेश की है अतः मुताबिक बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:21:57 IST
Reason: SelfAttested

वादी वकील की बहस पर अनुसरण कर पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो, व बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार व कब्जेनुसार तैयार की गई है। तथा वादी वकील ने भी अपनी बहस मे भी कथन किया है कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे। अतः वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम खिरखिडी मे बटवारा स्कीम के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

क्र0स	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
	शिवलाल पुत्र भज्जा जाति मीना सा.देह खातेदार	651/1 797/1 847/2 968/2	0.10 है0 0.10 है0 0.27 है0 0.10 है0
		कुल किता 4	कुल रकवा 0.57 है0
2	जितेन्द्र, अजय, हरिमोहन, अक्षय, सुरेश पि0 कल्याण, मंजू पुत्री कल्याण हि.ब.57/511, गोरधन पुत्र बाल्या हि0 142/511 राहिन पंजाब नेशनल बैक शाखा टोडाभीम, प्रहलाद पुत्र भज्जा हि. 57/511, पवन कुमार पुत्र भज्जा हि. 56/511, बदरी पुत्र भज्जा हि. 57/511, राजेन्द्र पुत्र हरबल हि. 142/511 राहिन पंजाब नेशनल बैक शाखा टोडाभीम जातियान मीना सा.देह खातेदार	651/2 760 793/1142 797/2 798 846 847/1 847/3 866 867 968/1 969 970 968/3 971/1274 972/1275 973/1276 989 990	0.43 है0 0.05 0.01 0.31 0.38 0.01 0.27 0.44 0.41 0.07 0.10 0.50 0.71 0.29 0.04 0.05 0.04 0.90 0.10
		कुल किता 19	कुल रकवा 5.11 है0
2	अनिता, नारानी, मीरा, सुनीता, सामन्ता पुत्रिया हरबल हि0 5/21, राजेन्द्र पुत्र हरबल हि0 2/21, जितेन्द्र, अजय, हरिमोहन, सुरेश, अक्षय पि. कल्याण, मंजू पुत्री कल्याण हि0 1/12, प्रहलाद, बदरी, पवनकुमार पुत्र भज्जा हि.ब. 1/4, गोरधन पुत्र बाल्या हि. 1/3, जाति मीना सा.देह खातेदार	797/1260	0.03 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिकी जारी हो

निर्णय आज दिनांक 04.04.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:21:57 IST
Reason: SelfAttested